न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 01/2025
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2025/01

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		श्री बच्छराज पु श्री रामकरण निवासी–कुचेरा,तहसील–मूण्डवां जिला–नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।
2. अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :–16.04.2025

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जरिऐ रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया तथा जिला रसद अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर तामिल किये जाने के उपरान्त अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र की कार्याही में भाग नहीं लिया हैं एवं अप्रार्थी आज भी अनुपस्थित रहा हैं।

प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत नागौर शहर एवं आसपास क्षेत्र में श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी,नागौर व श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 07.01.2025 को घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग की सूचना पर सालासर बालाजी(खाटूवाला) मार्केट बाजरवाड़ा नागौर पहुंचकर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की गई मौके पर सालासर मार्केट के मुख्य द्वार से अंदर जाने पर बायीं ओर चैनल गेट बना हैं उससे सटी दुकान पर श्री रामबाबू पुत्र श्री बच्छराज उपस्थित मिले, जिन्होंने उक्त दुकान डाईकटिंग की होना बताया तथा उसका संचालन स्वयं द्वारा करना बताया गया। मौके पर एक सिलेण्डर डाईकटिंग मशीन से जुड़ा पाया गया। श्री बच्छराज से घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यवसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री रामबाबू द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर व्यवसायिक दुरूपयोग किये जा रहे घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	कुल वजन	रिक्त का वजन	गैस वजन
1	एचपीसीएल	620149	20.7 किग्रा	15.7 किग्रा	05.00 किग्रा

उपरोक्त एक गैस सिलेण्डर मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स गहलोत गैस नागौर के प्रतिनिधि श्री मोहम्मद समीर की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री रामबाबू व श्री बच्छराज

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस(रेग्यूलेशन ऑफसप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में 01 गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किया जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया हैं,जबकि फर्द जब्ती पर अप्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर हैं। अप्रार्थी के पास घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र भी नहीं होना पाया गया हैं। इसलिए जब्त सामग्री राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जब्तसुदा 01(एक) घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscate)किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त जब्त सुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्देश दिये जाते हैं। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती हैं। जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर